14

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2024-25)

अठारहवीं लोक सभा

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

चौदहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

जुलाई, 2025 / श्रावण, 1947 (शक)

चौदहवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2024-25)

(अठारहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

31 जुलाई, 2025 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
31 जुलाई, 2025 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2025 / श्रावण, 1947 (शक)

विषय वस्तु

प्रतिवेदन

समिति की संरचना		(iv)
प्रस्तावना		(v)
भाग-एक		
पाठ का विश्लेषण		
		पृष्ठ संख्या
अध्याय – एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय – दो	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	15
अध्याय – तीन	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	46
अध्याय – चार	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	47
अध्याय – पांच	टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	48
	अनुबंध	
	29.07.2025 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश	49
	परिशिष्ट	
	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	52

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की संरचना

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अरुण भारती
3. श्री पी. पी.चौधरी
4. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
5. श्री गौरव गोगोई
6. श्री के.गोपीनाथ
7. श्री सुरेश कुमार कश्यप
8. श्री किशोरी लाल
9. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक
10. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
11. श्री अरुण नेहरू
12. श्री एन. के.प्रेमचन्द्रन
13. डॉ . सी. एम.रमेश
14. श्रीमती संध्या राय
15. प्रो. सौगत राय
16. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
17. डॉ. जयंत कुमार राय
18. डॉ. के.सुधाकर
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी

राज्य सभा

22. श्री पी. चिदम्बरम
23. श्री मिलिंद मुरली देवड़ा
24. डॉ .अशोक कुमार मित्तल
25. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी
26. श्री एस.सेल्वागनबेथी
27. श्री संजय सेठ
28. डॉ. दिनेश शर्मा
29. श्रीमती दर्शना सिंह
30. डॉ. मु. तंबि दुरै
31. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1.	श्री गौरव गोयल	संयुक्त सचिव
2.	श्री विनय प्रदीप बरवा	निदेशक
3.	श्री टी. मथिवनन	उप सचिव
4.	सुश्री युग्मा मलिक	अवर सचिव

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) के संबंध में समिति (अठारहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. पहला प्रतिवेदन 06 दिसंबर, 2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था /राज्यसभा के पटल पर रखा गया था। आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभागों की ओर से टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पण आर्थिक कार्य विभाग से 28 फरवरी, 2025 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 29 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

6. समिति, लोक सभा सचिवालय की इस समिति से संबद्ध अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी भी सराहना करना चाहेगी।

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2025
07 श्रावण, 1947 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय – एक

वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) पर उनके पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित है, जिसे 06 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था/राज्यसभा के पटल पर रखा गया था।

1.2 आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभागों की ओर से की-गई-कार्रवाई टिप्पण 28 फरवरी, 2025 को आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त हुए। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 12 सिफारिशों के संबंध में सरकार से की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। उत्तरों का विश्लेषण किया गया है और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:
सिफारिश संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12

(कुल - 12)
(अध्याय - दो)

(ii) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

(कुल - शून्य)
(अध्याय - तीन)

(iii) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है:

(कुल - शून्य)
(अध्याय- चार)

(iv) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

(कुल - शून्य)
(अध्याय- पाँच)

1.3 समिति अब उनकी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा-की-गई कार्रवाई पर विचार करेगी तथा टिप्पणी करेगी।

सिफारिश (क्रम सं. 2)

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ)

1.4 समिति को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) एक सुस्थापित निधि प्रबंधन संगठन बन गया है और इसने बुनियादी ढांचे, निजी बाजारों, जलवायु और विकास इक्विटी में परिचालन निधियों के साथ एक विश्वसनीय ट्रैक रिकार्ड विकसित किया है। समिति 2023 में स्थापित जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जे.बी.आई.सी.) के साथ भारत जापान फंड (आई.जे.एफ.) के रूप मे एन.आई.आई.एफ. के पहले द्विपक्षीय फंड को नोट करती है। इसके अलावा, पूंजी की लागत को कम करने में मदद करने और ग्रीनफील्ड नवीनकरणीय ऊर्जा, बैटरी भंडारण और उभरती हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की तैनाती में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निजी वित्त को आकर्षित करने के उदेश्य से स्थापित एक ग्रीन क्रेडिट फंड – यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड (यूएसआईजीएफ) का शुभारंभ उल्लेखनीय है। समिति का सुझाव है कि एनआईआईएफ को अंतर्राष्ट्रीय निजी पूंजी को सक्रिय रूप से आकर्षित करने के लिए मिश्रित वित्त जैसे नवाचारी वित्तपोषण तंत्रों का लाभ उठाना चाहिए; एक स्थायी और वित्तीय रूप से मजबूत तरीके से भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अधिक नवोन्मेषी और सरल साधनों को अपनाना चाहिए और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना चाहिए।

1.5 वित्त मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"एनआईआईएफ सरकार और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के एंकर निवेश के साथ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र निधि के साथ एक ग्रीन ट्रांजिशन क्रेडिट फंड स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड (यूएसआईजीएफ) एक मिश्रित वित्त उत्पाद है जिसकी परिकल्पना यूएसडीएफसी और भारत सरकार की एंकर

प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ वैश्विक वाणिज्यिक पूंजी जुटाने की है। एनआईआईएफएल भारतीय अर्थव्यवस्था के नए और उभरते क्षेत्रों के लिए मिश्रित वित्त में अवसरों की खोज करेगा।

भारत की अवसंरचना के विकास में सतत और वित्तीय रूप से सुदृढ़ माध्यम से तेजी लाने के लिए अभिनव वित्तपोषण तंत्र और अभिनव और सरल साधन:

i. *एनआईआईएफ के पत्तनों और लॉजिस्टिक प्लेटफार्म ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन लागत को कम करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित एक एकीकृत लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नवीन रणनीतियों को परिनियोजित किया है।*

ii. *स्मार्ट मीटर प्लेटफॉर्म कई राज्यों में इस परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को शुरू करने में सबसे आगे रहा है।*

iii. *ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में एनआईआईएफ के निवेश को दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए निवेश जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए साधनों के साथ तैयार किया गया है।*

iv. *एनआईआईएफ ने डिजिटल युग के साथ साझेदारी में भारत के सबसे बड़े सिंगल - लोकेशन हाइपरस्केल डेटा सेंटर के प्रति प्रतिबद्धता का भी बीड़ा उठाया, जो डिजिटल युग में अवसंरचना के विकास के लिए हमारे दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।*

v. *भारत-जापान कोष (आईजेएफ) की परिकल्पना जापानी और भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाकर और भारत में जापानी कंपनियों के साथ सह-निवेश करके भारत में स्वच्छ ऊर्जा और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए उसकी स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाकर समुत्थानशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन (आरआईएसई) पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए की गई है।"*

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) का. ज्ञा./फाइल सं. 18/5/2024-डीआई दिनांक 20.12.2024]

1.6 समिति, राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के सतत् और भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना विकास की ओर कदम बढ़ाने की सराहना करती है, विशेषरूप से अमेरिका-भारत हरित परिवर्तन कोष (यूएसआईजीएफ) जैसे मिश्रित वित्त मॉडल के कुशल उपयोग और 'लॉजिस्टिक्स' तथा 'डिजिटल यूटिलिटिज' जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्षित निवेश की सराहना करती है। समिति चाहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अवसंरचना और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी जुटाने में अपनी भूमिका को सुदृढ़

करने के लिए एनआईआईएफ उभरते क्षेत्रों में एक सुदृढ़ मिश्रित वित्तीय ढाँचा तैयार करे, परिवर्तनकारी अत्याधुनिक तकनीकों में सक्रिय रूप से निवेश करे और व्यापक वैश्विक संस्थागत निवेश आकर्षित करके द्विपक्षीय सरकारी निधियों से इतर अपने पूंजी आधार में विविधता लाए। यह, फंड के प्रदर्शन के बारे में अधिक सार्वजनिक प्रकटीकरण करके परियोजना पाइपलाइन, रोज़गार सृजन और आकांक्षी क्षेत्रों/ज़िलों में सुदृढ़तापूर्वक किया जा सकता है। समिति मानती है कि इन कार्यों और सक्रिय निवेशक जुड़ाव के माध्यम से, एनआईआईएफ भारत के हरित परिवर्तन और समग्र विकास में एक प्रमुख भागीदार बनेगा।

सिफारिश (क्रम सं. 5)

मुद्रास्फीति

1.7 समिति नोट करती है कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। हालांकि, समिति यह पाती है कि राज्यों में मुद्रास्फीति में काफी अंतर है। ओडिशा (6.3%) और बिहार (6.2%) जैसे कुछ राज्यों को 4.6% राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है। समिति को यह बताया गया है कि कारक जैसे क्षेत्रीय फसल उत्पादन; परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग लागत; स्थानीय खपत पैटर्न; करों और सब्सिडी सहित ईंधन की कीमतों में भिन्नता और स्थानीय कारक जैसे भौगोलिक इलाकों में भिन्नता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, प्राकृतिक आपदाएं और क्षेत्रीय नीतियां इन असमानताओं को बढ़ाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए, समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह देश भर में अधिक सुसंगत मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से सभी संभव तरीकों और साधनों का पता लगाए और उनका अध्ययन करे।

1.8 वित्त मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"

1. केंद्रीय बजट *2025-26* में राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किए जाने वाले उपायों का प्रस्ताव है, जो देश भर में अधिक सुसंगत मुद्रास्फीति नियंत्रण करने में मदद कर सकता है। इनमें शामिल हैं*:*
    क. कृषि जिला कार्यक्रम विकसित करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इसे मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के संयोजन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा।

इसका लक्ष्य (*i)* कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, *(ii)* फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, *(iii)* पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल के बाद के भंडारण को बढ़ाना, *(iv)* सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, और (*v)* दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है।

ख. सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम: किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी कीमतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बजट *2025-26* में राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के तहत किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के कार्यान्वयन और भागीदारी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित किए गए *555* मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी करता है। उचित निर्णय लेने के लिए दैनिक मूल्य रुझानों का विश्लेषण किया जाता है जैसे कि बफर से स्टॉक जारी करना, स्टॉकहोल्डिंग निकायों द्वारा स्टॉक प्रकटीकरण, स्टॉक सीमा लागू करना, व्यापार नीति लिखतों में बदलाव जैसे आयात शुल्क का युक्तिकरण, आयात कोटा में बदलाव, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आदि।

3. कीमतों में अस्थिरता से निपटने के लिए, सरकार बाजार संबंधी पहलों के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है, ताकि बाजार की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। दालों के बफर स्टॉक का एक भाग दालों में परिवर्तित किया जाता है ताकि भारत दाल ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर इसकी खुदरा बिक्री के लिए इसी तरह, भारत ब्रांड के तहत आटा और चावल खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर वितरित किया जाता है। थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लक्षित तरीके से सितंबर से दिसंबर, *2024* के दौरान बफर से प्याज भी बाजार में लाया गया था। इसे उन राज्यों और शहरों में लक्षित किया गया था जहां प्रचलित कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक थीं और कीमतों और मुद्रास्फीति में अंतर-राज्य भिन्नता को कम करने के लिए बढ़ रही थीं।"

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

का.ज्ञा.सं. 5(3)/ईसी.डीएन./2025, दिनांक 14.02.2025]

1.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दिनांक 12.06.2025 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् उल्लेख किया हैं: -

"मई, 2025 माह के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए वर्ष 2012 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ें =100

मुख्य अंश:

1. हेडलाइन मुद्रास्फीति: मई, 2025 माह के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर मई, 2024 की तुलना में 2.82% (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 की हेडलाइन मुद्रास्फीति में 34 आधार अंकों की गिरावट है। यह फरवरी, 2019 के बाद वर्ष-दर-वर्ष सबसे कम मुद्रास्फीति है।

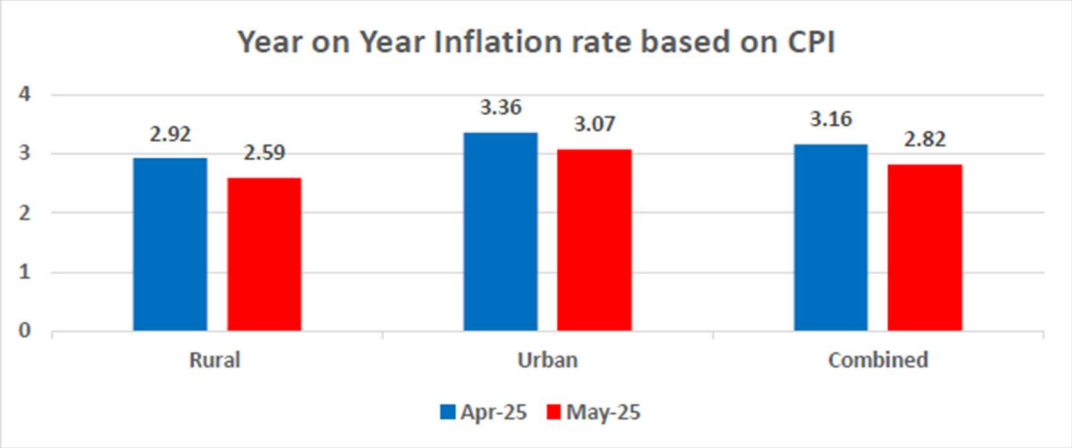

2. खाद्य मुद्रास्फीति: मई, 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति दर मई, 2024 की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 0.99% (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए यही मुद्रास्फीति दर क्रमशः 0.95% और 0.96% है। पिछले 13 महीनों में सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें नीचे दी गई हैं। अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में 79 आधार अंकों की तीव्र गिरावट देखी गई है। मई, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति अक्तूबर, 2021 के बाद सबसे कम है।

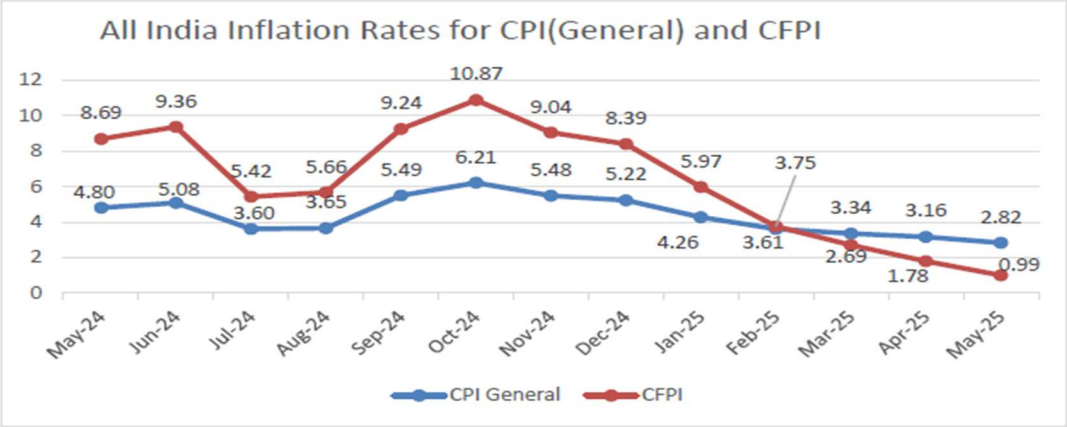

3. मई, 2025 के माह के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से दालों और उत्पादों, सब्जियों, फलों, अनाज और उत्पादों, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, चीनी और मिष्ठान्न और अंडे की मुद्रास्फीति में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभाव के कारण है।
4. ग्रामीण मुद्रास्फीति: मई, 2025 में ग्रामीण क्षेत्र में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। मई, 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.59% (अनंतिम) है, जबकि अप्रैल, 2025 में यह 2.92% थी। ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल, 2025 में 1.85% की तुलना में मई, 2025 में 0.95% (अनंतिम) देखी गई।
5. शहरी मुद्रास्फीति: शहरी क्षेत्र की हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल, 2025 के 3.36% से मई, 2025 में 3.07% (अनंतिम) तक उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। खाद्य मुद्रास्फीति भी अप्रैल, 2025 के 1.64% से मई, 2025 में 0.96% (अनंतिम) तक तीव्र गिरावट देखी गई है।
6. आवास मुद्रास्फीति: मई 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष आवास मुद्रास्फीति दर 3.16% (अनंतिम) है। अप्रैल 2025 के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 3.06% थी। आवास सूचकांक केवल शहरी क्षेत्र के लिए संकलित किया गया है।
7. शिक्षा मुद्रास्फीति: मई 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष शिक्षा मुद्रास्फीति दर 4.12% (अनंतिम) है। अप्रैल 2025 के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 4.13% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त शिक्षा मुद्रास्फीति है।
8. स्वास्थ्य मुद्रास्फीति: मई 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष स्वास्थ्य मुद्रास्फीति दर 4.34% (अनंतिम) है। अप्रैल 2025 के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 4.25% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त स्वास्थ्य मुद्रास्फीति है।

9. परिवहन एवं संचार: मई, 2025 माह के लिए परिवहन एवं संचार क्षेत्र की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.85% (अनंतिम) है। अप्रैल, 2025 माह के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 3.67% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
10. ईंधन एवं प्रकाश: मई 2025 के लिए ईंधन एवं प्रकाश की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 2.78% (अनंतिम) है। अप्रैल 2025 के लिए इसी अवधि में 2.92% मुद्रास्फीति दर थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
11. मई, 2025 माह के लिए उच्च वार्षिक मुद्रास्फीति वाले शीर्ष पांच प्रमुख राज्य नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए गए हैं।

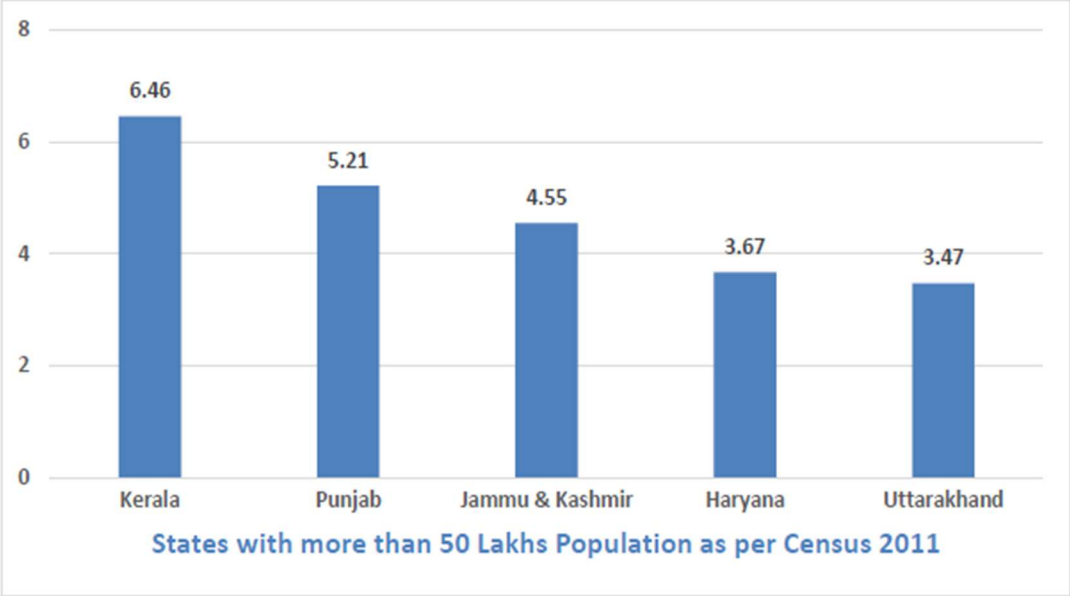

Year-on-year inflation rates (%) of major® States for Rural, Urban and Combined for May, 2025 (Provisional) (Base: 2012=100)

Sl. No.	Name of the State/UT	Rural			Urban			Combined		
		May 24 Index (Final)	May 25 Index (Prov.)	Inflation Rate (%)	May 24 Index (Final)	May 25 Index (Prov.)	Inflation Rate (%)	May 24 Index (Final)	May 25 Index (Prov.)	Inflation Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Andhra Pradesh	194.9	197.5	1.33	194.8	199.4	2.36	194.9	198.2	1.69
2	Assam	190.6	194.5	2.05	187.8	194.5	3.57	190.0	194.5	2.37
3	Bihar	183.4	185.6	1.20	191.0	197.5	3.40	184.5	187.3	1.52
4	Chhattisgarh	179.1	185.6	3.63	176.6	181.4	2.72	178.1	184.0	3.31
5	Delhi	169.7	174.3	2.71	168.9	172.3	2.01	168.9	172.4	2.07
6	Gujarat	185.5	190.2	2.53	175.4	180.3	2.79	179.8	184.6	2.67
7	Haryana	190.3	197.3	3.68	179.5	185.9	3.57	185.2	192.0	3.67
8	Himachal Pradesh	175.4	180.7	3.02	180.3	184.8	2.50	176.3	181.4	2.89
9	Jharkhand	182.6	186.1	1.92	186.7	192.2	2.95	184.2	188.4	2.28
10	Karnataka	193.5	199.5	3.10	195.6	201.9	3.22	194.6	200.8	3.19
11	Kerala	197.8	211.4	6.88	194.7	205.7	5.65	196.7	209.4	6.46
12	Madhya Pradesh	185.0	190.7	3.08	188.0	193.5	2.93	186.2	191.9	3.06
13	Maharashtra	188.3	193.1	2.55	181.7	188.2	3.58	183.9	189.8	3.21
14	Odisha	190.7	195.1	2.31	183.0	187.0	2.19	188.5	192.8	2.28
15	Punjab	182.1	191.7	5.27	174.1	182.9	5.05	178.5	187.8	5.21
16	Rajasthan	184.9	189.3	2.38	184.0	188.4	2.39	184.6	189.0	2.38
17	Tamil Nadu	196.3	201.3	2.55	194.8	200.6	2.98	195.4	200.9	2.81
18	Telangana	204.3	204.6	0.15	197.6	199.4	0.91	200.6	201.7	0.55
19	Uttar Pradesh	187.5	191.2	1.97	185.9	190.8	2.64	186.9	191.1	2.25
20	Uttarakhand	183.0	187.6	2.51	186.5	195.9	5.04	184.3	190.7	3.47
21	West Bengal	192.9	196.3	1.76	190.0	196.0	3.16	191.5	196.2	2.45
22	Jammu & Kashmir*	197.1	206.6	4.82	192.9	200.7	4.04	195.6	204.5	4.55
All India		189.4	194.3	2.59	185.7	191.4	3.07	187.7	193.0	2.82

Notes:
1. Prov. : Provisional.
2. * : Figures of this row pertain to the prices and weights of the combined Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh (erstwhile State of Jammu & Kashmir).
3. @ : States having population more than 50 lakhs as per Population Census 2011.

"

1.10 समिति ने मई, 2025 में समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में 2.82% तक की उत्साहजनक कमी की प्रशंसा करती है, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में कमी है, जिस प्रवृत्ति को आरबीआई ने जून, 2025 की अपनी हाल की मौद्रिक नीति रिपोर्टर में भी नोट किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 3.7% रहने का अनुमान लगाया है और रेपो दर को कम करके और विकास को समर्थन देने के लिए तटस्थ रुख अपनाकर मुद्रास्फीति के रूझान में विश्वास जताया है।

तथापि, समिति इस बात से चिंतित है कि आवास (3.16%), स्वास्थ्य (4.34%) और परिवहन एवं संचार (3.85%) जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र अभी भी लगातार मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय असमानताएँ चिंता का विषय बनी हुई हैं, जहाँ शहरी क्षेत्रों (3.07%) में ग्रामीण क्षेत्रों (2.59%) की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई है, और केरल (6.46%),

पंजाब (5.21%), जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य) जैसे कुछ राज्यों में तेलंगाना (0.55%) जैसे अन्य राज्यों की तुलना में समग्र मुद्रास्फीति दर उल्लेखनीय रूप से अधिक दर्ज की गई है। समिति यह मानती है कि हस्तक्षेप, इन प्रभावित क्षेत्रों की विशिष्ट आर्थिक आपूर्ति-पक्ष में उतार-चढ़ाव और विविध ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में मूल्य प्रवृत्तियों के अनुरूप सटीक रूप से तैयार किए जाने चाहिए। इसलिए, समिति देश भर में अधिक समतापूर्ण और स्थिर मूल्य स्थितियों को प्राप्त करने के लिए बजटीय और अनुवर्ती नीतिगत उपायों को संरेखित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर व्यापक संरचनात्मक सुधारों के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देती है।

सिफारिश (क्रम सं. 9)

अकाउंट एग्रीगेटर (एए)

1.11 समिति नोट करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विकसित अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क को ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के साथ वित्तीय जानकारी के निर्बाध प्रसारण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को एए के रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) को परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म आदि। समिति की राय है कि एए फ्रेमवर्क वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतः समिति महसूस करती है कि एए फ्रेमवर्क को बढ़ाया जाना चाहिए और आंकड़ों के उल्लंघन को रोकने के लिए संवधत सुरक्षा उपायों के साथ-साथ इसे और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। लघु बचत योजनाओं के आंकड़ों के मिलान की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और उचित मूल्यांकन के बाद इसे एए ढांचे के तहत वित्तीय सूचना के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अधिक वित्तीय सहायता प्राप्तियों को एकीकृत करने तथा एए फ्रेमवर्क की निगरानी और अनुपालन के लिए कुशल साधन विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

1.12 वित्त मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

> *"रिज़र्व बैंक ने 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेशों के तहत अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा जारी किया है। अकाउंट एग्रीगेटर (एए) निर्दिष्ट वित्तीय सूचना प्रदाताओं (वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के तहत विनियमित संस्थाओं, अर्थात, आरबीआई, एसईबीआई(सेबी), इरडा, पीएफआरडीए और जीएसटीएन) से ग्राहक की वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना को पुनः प्राप्त करने या एकत्र करने और इसे*

एकत्रित/समेकित करने और ग्राहकों या निर्दिष्ट वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करने का कारोबार करता है। एए ग्राहक की स्पष्ट सहमति के आधार पर इस प्रक्रिया को आरंभ करता है।

वर्तमान में, एए फ्रेमवर्क में वित्तीय सूचना के रूप में अभिचिह्नित 19 मदें शामिल हैं जो वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) के पास उपलब्ध हैं।

एए इकोसिस्टम में नवंबर 2024 के अंत तक काफी वृद्धि देखी गई है। एए फ्रेमवर्क में 571 वित्तीय सूचना प्रयोक्ता (एफआई-यूएस) और 147 वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) थे जो विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियामकों में फैले हुए थे जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभ से अब तक एफआईयू को लगभग 238 करोड़ सफल सहमति आधारित आंकड़े अंतरित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एए इकोसिस्टम के कवरेज और दायरे को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को सलाह देने जैसे कई उपाय किए हैं कि वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एए इकोसिस्टम में शामिल होने वाले आरई आवश्यक रूप से वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में भी शामिल होंगे यदि उनके पास निर्दिष्ट 'वित्तीय सूचना' है और एफआईपी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एए पारिस्थितिकी तंत्र के कवरेज और दायरे को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार कई उपाय किए हैं:

1. *रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए 'आरबीआई कहता है" पहल के तहत जन जागरूकता अभियान शुरू किया था जो वर्ष 2024-25 के लिए भी जारी रहेगा।*
2. *एए को सहज उपयोग के लिए द्विभाषी/बहुभाषी में अपने वेब/मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने का सुझाव दिया गया है।*
3. *एए प्रणाली के उपयोग और कवरेज को और बढ़ाने की दृष्टि से, आरबीआई उन प्रयोजनों/उपयोग के मामलों की सूची को बढ़ाने में लगा हुआ है जिनके लिए आंकड़े साझा किया जा सकता है।*

डेटा ब्लाइंडनेस पर विनियामक निदेश, आंकड़ा धारक की स्पष्ट सहमति, आवधिक आईएस ऑडिट, साइबर सुरक्षा, आईटी सुरक्षा, आउटसोर्सिंग आदि डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए निर्धारित हैं और वे गतिशील रूप से संरेखित हैं या किसी भी उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए नए उपाय जोड़े गए हैं।

रिज़र्व बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम (एसआरओ-एए) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। एसआरओ-एए से सदस्य प्रतिभागियों के लिए आचार संहिता तैयार करने, इकोसिस्टम में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, वित्तीय जानकारी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों और नियामकों के सहयोग से मानक विकसित करने और सदस्य प्रतिभागियों के लिए आचरण के स्पष्ट मानकों को स्थापित करने आदि में भूमिका निभाने की उम्मीद है। एसआरओ-एए के गठन से एए इकोसिस्टम के प्रतिभागियों के बीच अनुपालन प्रणाली में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एए के अनुपालन मानकों की मानीटरिंग की जाती है।

रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी, 2024 के पत्र द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को अवगत कराया है कि बैंक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपना रहा है जिसके तहत प्रदान किए गए एए ढांचे के तहत शामिल करने के लिए वित्तीय जानकारी पर विचार किया जा सकता है:

- *ऐसी सूचना ग्राहक की आस्ति संबंधी स्थिति बताता है और यह इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है; ग्राहक की सहमति के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए तकनीकी और कानूनी प्रावधान / सक्षमता उपलब्ध है; और*
- *भारत सरकार का संबंधित विभाग/मंत्रालय एए फ्रेमवर्क के इस सीमित प्रयोजन के लिए सम विनियामक होने के लिए सहमत है। आंकड़ों का रख-रखाव करने वाले प्राधिकारी को एए फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में नामित किया जा सकता है।*

तदनुसार, लघु बचत योजनाओं के संबंध में सूचना को एए इकोसिस्टम के अंतर्गत वित्तीय सूचना के रूप में मानने के लिए आथक कार्य विभाग की सहमति का अनुरोध किया गया था। इस बात की पुष्टि करने का भी अनुरोध किया गया था कि क्या लघु बचत के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं उक्त सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण के मानदंडों का अनुपालन करती हैं।

इस संबंध में, डीईए ने 14 जून, 2024 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया है कि डाक विभाग में लघु बचत योजनाओं की आंकड़ा मिलान प्रक्रिया की जा रही है और इसलिए आंकड़ा मिलान पूरा होने के पश्चात एए इकोसिस्टम में वित्तीय जानकारी के रूप में लघु बचत योजनाओं को शामिल करने से संबंधित मामले पर विचार किया जा सकता है।"

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

का.ज्ञा.सं. 07/44/2024-संसद दिनांक 10.02.2025]

1.13 समिति, खाता एग्रीगेटर (एए) पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए आरबीआई के उपायों की सराहना करती है, जिसमें डेटा प्रबंधन, आवधिक लेखा परीक्षा और एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना से संबंधित इसके निरंतर प्रयास शामिल हैं। एए ढांचे की उपयोगिता और पहुँच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए, समिति, मंत्रालय को अधिक वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) के त्वरित एकीकरण और लघु बचत योजनाओं (जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से डेटा मिलान किया गया हो) को एए ढांचे में समयबद्ध रूप से शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने की सिफारिश करती है। स्व-शासन को बढ़ावा देने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए एसआरओ की स्थापना में तेजी लाने के लिए आरबीआई से आग्रह करते हुए, समिति ने सतत् निगरानी करने, मूल्यांकन को सक्षम बनाने और उच्चतम परिचालन और डेटा सुरक्षा मानकों के पालन करने को प्रोत्साहित करने के लिए निष्पादन, अनुपालन, डेटा सुरक्षा आदि के आधार पर एक व्यापक एए रैंकिंग प्रणाली का पता लगाने की सलाह दी।

सिफारिश (क्रम सं. 12)

जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रावधानों में परिवर्तन

1.14 समिति नोट करती है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) के जीवन बीमा उत्पादों पर मास्टर सर्कुलेटर, 2024 द्वारा पेश किए गए बदलाव, ग्राहको को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों/राइडरों को चुनने के लिए व्यापक विकल्प और लचीलापन प्रदान करना संभव बनाते हैं और पॉलिसीधारकों की शिकायतों को कम करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। समिति महसूस करती है कि विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली में समायोजन और नीति अधिग्रहण और दृढ़ता मॉडल में बदलाव एजेंटों के कमीशन को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर अगर बीमाकर्ता अपनी वितरण रणनीतियों को समायोजित करते हैं या नए नीति डिजाइनों को प्रतिबिंबित करने के लिए कमीशन संरचनाओं को संशोधित करते हैं जो उनके कमीशन को कम कर सकते हैं और उनके मनोबल को प्रभावित कर सकते

हैं। इस प्रकार, समिति की राय है कि आईआरडीएआई को विभिन्न प्रभावित हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए।

1.15 वित्त मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"इरडाई द्वारा यह परिकल्पना की गई है कि विनियामकीय ढांचे में हाल के परिवर्तनों के कारण, जीवन बीमा उत्पादों को अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है, इससे उनकी बिक्री में वृद्धि हो सकती है, जिससे बीमा एजेंटों और मध्यस्थों को एक स्थायी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, इरडाई ने यह व्यक्त किया है कि बीमाकर्ता इरडाई (बीमाकर्ताओं के कमीशन सहित प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने एजेंटों को देय कमीशन का निर्णय ले सकता है।

इरडाई द्वारा पॉलिसीधारकों के व्यापक उद्देश्य और हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.12.2024 तक उनकी उचित अपेक्षाओं और इन परिवर्तनों के संभावित समग्र सकारात्मक प्रभाव सहित, अभ्यर्पण मूल्य में परिवर्तनों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ा दी गई थी। तदनुसार, इस विभाग का विचार है कि संशोधित ढांचे के परिणाम की समीक्षा एक वर्ष के बाद की जा सकती है।"

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
का.ज्ञा.सं. 07/44/2024-संसद दिनांक 10.02.2025]

1.16 समिति, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा वर्ष 2024 के 'मास्टर सर्कुलर' के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों में सुधार के प्रयासों को नोट किया है। तथापि, समिति बीमा एजेंटों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है, विशेषरूप से संशोधित अधिग्रहण लागत संरचनाओं और अभ्यर्पण मूल्य गणनाओं के कारण, जो उनके कमीशन और मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं। एक वर्षीय रूपरेखा समीक्षा पर मंत्रालय के विचार के अनुरूप, समिति सिफारिश करती है कि आईआरडीएआई को सभी संबंधित पक्षों के साथ यथाशीघ्र उचित परामर्श के बाद, सभी हितधारकों पर इन विनियामक परिवर्तनों के समग्र और व्यापक प्रभाव का आकलन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समिति, कार्यान्वयन की सतत् निगरानी और आवधिक समीक्षा के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने का सुझाव देती है ताकि बीमा पहुँच और व्यापकता को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाए बिना विनियामक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय – दो

सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

मांग संख्या 30 – आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित मांग संख्या 30 की जांच करने पर समिति बजट अनुमानों (बीई) और संशोधित अनुमानों (आरई) के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां पाती है। समिति नोट करती है कि संशोधित अनुमान 2023-24 में 28,417.13 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 के बजट अनुमान से 13,280.59 करोड़ रुपये अधिक है और वर्तमान बजट अनुमान 2024-25 में बजट अनुमान 2023-24 से 69,494.27 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि देखी गई है और यह उससे 84,630.81 करोड़ रुपये है।डीईए द्वारा उद्धृत मुख्य कारण जिसकी वजह से बजट अनुमान 2023-24 से संशोधित अनुमान 2023-24 में वृद्धि हुई है, यह है कि 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में हस्तांतरण' के अंतर्गत संशोधित अनुमान चरण में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था; भारतीय निर्यात- आयात बैंक (एक्सिम बैंक) से प्राप्त उच्च दावों के कारण भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत इन्ट्रेस्ट अक्वलाइजेशन सपोर्ट फॉर लाइन्स ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत संशोधित अनुमान चरण में 1,050 करोड़ रुपये बढ़ाए गए और 5,922.15 करोड़ रुपये संशोधित अनुमान चरण में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड [मेन्टिनेन्स ऑफ वैल्यू (एम ओ वी) ऑब्लिगेशन] के अंतर्गत बढ़ाए गए ।इसके अलावा, समिति को सूचित किया जाता है कि चालू वित्त वर्ष में बढ़ी हुई निधि की आवश्यकता इस कारण से हुई है कि वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों की अवसंरचना परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 'नई योजनाएं' शीर्ष के अंतर्गत 62,592.88 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और सॉवरेन गोल्ड बांड्स (एसजीबी) के सुचारु परिशोधन के लिए 'बोल्ड रिजर्व फंड' के अंतर्गत 8,051 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।समिति अनुमानों की

वास्तविक तैयारी और आवंटित निधियों के कुशल उपयोग की आवश्यकता पर जोर देना चाहती है ।बजट तैयार करने में नोडल विभाग होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग से बजटीय आबंटन करते समय अपेक्षित वित्तीय मानदंडों का पालन करने और राजकोषीय विवेक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार उसे वास्तविक अनुमान तैयार करने और स्वीकृत निधियों के इष्टतम उपयोग मे अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए एक आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए ।समिति इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहेगी कि अधिक यथार्थवादी बजट अनुमानों को सुनिश्चित करने और बजटीय अप्रत्याशितता को कम करने के लिए बेहतर पूर्वानुमान तकनीक और दूरदर्शिता का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है |

सरकार का उत्तर

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि बजट तैयार करने हेतु नोडल विभाग होने के नाते आर्थिक कार्य विभाग, अपेक्षित वित्तीय मानदंडों का पालन करने एवं बजटीय आबंटन करते समय राजकोषीय विवेक बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा वास्तविक अनुमान तैयार करने और स्वीकृत निधियों का इष्टतम उपयोग करने में अन्य मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रेरणास्रोत बनने का प्रयास करता है।

वास्तविक अनुमान सुनिश्चित करना:

आर्थिक कार्य विभाग वास्तविक बजट अनुमान तैयार करने के लिए अपनी पुर्वानुमान संबंधी तकनीकों को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। आर्थिक कार्य विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बजट आबंटन वास्तविक और विस्तृत योजना के आधार पर, पिछले व्यय रुझानों, नवीनतम आर्थिक विकास और उभरते रूझानों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं, ताकि बजट संबंधी अनिश्चितता कम हो सके।

निधियों का कुशल उपयोग:

हमने अपनी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मजबूत किया है ताकि आबंटित धन का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसमें मासिक व्यय रिपोर्ट के माध्यम से मुख्य शीर्ष/योजना-वार व्यय की प्रगति की निगरानी करना शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 में, आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के अंतर्गत व्यय, स्वीकृत बजट का 97.01% था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाता है कि हम अपनी निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करने का प्रयास करेंगे ताकि आबंटित धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

आर्थिक कार्य विभाग समिति की टिप्पणियों को स्वीकार करता है तथा राजकोषीय विवेक और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य बेहतर पूर्वानुमान तकनीकों और दूरदर्शिता का उपयोग करके बजटीय अनिश्चितता को कम करना तथा अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करना है।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
का.ज्ञा.सं. 5/15/2024-आईएफ-I दिनांक 30.12.2024]

सिफारिश (क्रम संख्या 2)

राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ)

समिति को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) एक सुस्थापित निधि प्रबंधन संगठन बन गया है और इसने अवसंरचना, निजी बाजारों, जलवायु और विकास इक्विटी में परिचालन निधियों के साथ एक विश्वसनीय ट्रैक रिकार्ड विकसित किया है।समिति 2023 में स्थापित जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जे.बी.आई.सी.) के साथ भारत जापान फंड (आई.जे.एफ.) के रूप मे एन.आई.आई.एफ. के पहले द्विपक्षीय फंड को नोट करती है ।इसके अलावा, पूंजी की लागत को कम करने में मदद करने और ग्रीनफील्ड नवीनकरणीय ऊर्जा, बैटरी भंडारण और उभरती हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की तैनाती में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निजी वित्त को आकर्षित करने के उदेश्य से स्थापित एक ग्रीन क्रेडिट फंड – यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन

फंड (यूएसआईजीएफ) का शुभारंभ उल्लेखनीय है।समिति का सुझाव है कि एनआईआईएफ को अंतर्राष्ट्रीय निजी पूंजी को सक्रिय रूप से आकर्षित करने के लिए मिश्रित वित्त जैसे नवाचारी वित्तपोषण तंत्रों का लाभ उठाना चाहिए; एक स्थायी और वित्तीय रूप से मजबूत तरीके से भारत के अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के लिए अधिक नवोन्मेषी और सरल साधनों को अपनाना चाहिए और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

एनआईआईएफ सरकार और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के एंकर निवेश के साथ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र निधि के साथ एक ग्रीन ट्रांजिशन क्रेडिट फंड स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यूएस इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन फंड (यूएसआईजीएफ) एक मिश्रित वित्त उत्पाद है जिसकी परिकल्पना यूएसडीएफसी और भारत सरकार की एंकर प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ वैश्विक वाणिज्यिक पूंजी जुटाने की है। एनआईआईएफएल भारतीय अर्थव्यवस्था के नए और उभरते क्षेत्रों के लिए मिश्रित वित्त में अवसरों की खोज करेगा।

भारत की अवसंरचना के विकास में सतत और वित्तीय रूप से सुदृढ़ रूप से तेजी लाने के लिए अभिनव वित्तपोषण तंत्र और अभिनव और सरल साधन:

i. एनआईआईएफ के पत्तनों और लॉजिस्टिक प्लेटफार्म ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन लागत को कम करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित एक एकीकृत लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नवीन रणनीतियों को परिनियोजित किया है।

ii. स्मार्ट मीटर प्लेटफॉर्म कई राज्यों में इस परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी को शुरू करने में सबसे आगे रहा है।

iii. ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में एनआईआईएफ के निवेश को दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए निवेश जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए साधनों के साथ तैयार किया गया है।

iv. एनआईआईएफ ने डिजिटल युग के साथ साझेदारी में भारत के सबसे बड़े सिंगल - लोकेशन हाइपरस्केल डेटा सेंटर के प्रति प्रतिबद्धता का भी बीड़ा उठाया, जो डिजिटल युग में अवसंरचना के विकास के लिए हमारे दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

v. भारत-जापान कोष (आईजेएफ) की परिकल्पना जापानी और भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाकर और भारत में जापानी कंपनियों के साथ सह-निवेश करके भारत में स्वच्छ ऊर्जा और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए उसकी स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाकर समुत्थानशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन (आरआईएसई) पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए की गई है।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
का.ज्ञा.सं. 18/5/2024-डीआई-I दिनांक 20.12.2024]

(समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.6 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

ब्याज भुगतान

समिति नोट करती है कि सकल और निवल आधार दोनों पर ब्याज भुगतान के बजट अनुमानों में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है और चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान सकल और शुद्ध आधार पर क्रमशः 12,08,841.36 करोड़ रुपये और 11,62,940.29 करोड़ रुपये है। समिति को सूचित किया जाता है कि 2023-24 के लिए संशोधित अनुमानों (आरई) में 7,446.92 करोड़ रुपये की

कमी मुख्य रूप से दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रतिफल में वृद्धि और कम टी-बिल जारी करने के कारण है। आगे यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में जारी प्रतिभूतियों पर पूरे वर्ष के ब्याज भुगतान के कारण करापात में वृद्धि के कारण बीई 2024-25 में उच्च प्रावधान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में नए उधार पर ब्याज भुगतान प्रावधान के साथ जुड़ा हुआ है। समिति महसूस करती है कि ब्याज भुगतान अनुमान बाजार की स्थितियों से निकटता से जुड़े हुए हैं; बजट बफर का निर्माण सरकार को वैश्विक समष्टि आर्थिक और भू-राजनीतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूलता के दौरान तेजी से और लचीले ढंग से कार्रवाई करने में सहायक होगा। अतः, समिति इस बात पर बल देना चाहेगी कि सरकार को अधिक धारणीय ऋण प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि दीर्घावधिक राजकोषीय दबाव से बचा जा सके और राजकोषीय स्थिरता बनाए रखते हुए सरकार के ब्याज भुगतानों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सके।

सरकार का उत्तर

ब्याज भुगतान का बाजार की मौजूदा स्थिति और सरकार के राजकोषीय घाटे से गहरा संबंध है। सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम के राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग का अनुसरण कर रही है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 61.4% से घटाकर वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के 56.8% तक लाने में मदद मिली। यह समेकन मोटे तौर पर समिति की सिफारिश के साथ भी संरेखित है।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

का. ज्ञा. सं. 9(1)-बी (डब्लू एंड एम)/2024 दिनांक 14.01.2025]

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

विनिवेश

समिति विनिवेश के लिए लक्ष्योन्मुखी और राजस्व केंद्रित दृष्टिकोण को जारी न रखने संबंधी सरकार के निर्णय को नोट करती है।समिति को सूचित किया जाता है कि हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश आय का बजट अनुमान 51,000 करोड़ रुपये था, तथापि वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान चरण के साथ–साथ 2024-25 के बजट में भी विनिवेश प्राप्तियों के लिए कोई विशिष्ट अनुमान नहीं था ।समिति यह समझती है कि यह कदम विनिवेश के एक सतत प्रक्रिया होने के कारण उठाया गया है जिसमें लेन-देन का समय और समापन आर्थिक दृष्टिकोण, क्षेत्रीय रुझानों, बाजार परिस्थितियों, निवेशकों की अभिरुचि और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है ।विनिवेश लक्ष्यों की प्राप्ति होने पर, समिति देश में, विशेष रूप से सरकार के राजकोषीय बोझ को कम करने और दक्षता को बढ़ावा देने में रणनीतिक विनिवेश के महत्व पर जोर देना चाहेगी ।अतः, समिति मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि विनिवेश की प्राथमिकता कम न हो और प्रचालन दक्षता बढ़ाने तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए अधिकतम दीर्घकालिक मूल्य प्राप्त करने तथा सरकार के लिए इष्टतम लाभ प्राप्त करने के उद्येश्य से सही भावना से किए जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

दीपम, समिति की टिप्पणी से सहमत है। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, अंशशोधित विनिवेश रणनीति अल्पांश शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मूल्य सृजन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है, और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से सीपीएसई को सूचीबद्ध करना, इसके बाद सेबी अनुमोदित पद्धतियों के माध्यम से हिस्सेदारी की बिक्री और सीपीएसई को अपनी सहायक कंपनियों के लिए भी ऐसा करने

के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। चालू वित्त वर्ष (दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार) में, विभाग ने विभिन्न विनिवेश पद्धतियों के माध्यम से 8625 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

[वित्त मंत्रालय (निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)
का. ज्ञा. सं. 3/1/2008.डीडी.II (खंड IV) - भाग (1) दिनांक 13.01.2025]

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

मुद्रास्फीति

समिति यह नोट करती है कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। हालांकि, समिति यह पाती है कि राज्यों में मुद्रास्फीति में काफी अंतर है।ओडिशा (6.3%) और बिहार (6.2%) जैसे कुछ राज्यों को 4.6% राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है। समिति को यह बताया गया है कि कारक जैसे क्षेत्रीय फसल उत्पादनः परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग लागत; स्थानीय खपत पैटर्न; करों और सब्सिडी सहित ईंधन की कीमतों में भिन्नता और स्थानीय कारक जैसे भौगोलिक इलाकों में भिन्नता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, प्राकृतिक आपदाएं और क्षेत्रीय नीतियां इन असमानताओं को बढ़ाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए, समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह देश भर में अधिक सुसंगत मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से सभी संभव तरीकों और साधनों का पता लगाए और उनका अध्ययन करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

1. केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किए जाने वाले उपायों का प्रस्ताव है, जो देश भर में अधिक सुसंगत मुद्रास्फीति नियंत्रण करने में मदद कर सकता है। इन उपायों में शामिल हैं:

क. **कृषि जिला कार्यक्रम विकसित करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** इसे मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के संयोजन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका लक्ष्य (i) कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, (ii) फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना, (iii) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल के बाद के भंडारण को बढ़ाना, (iv) सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, और (v) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है।

ख. **सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम:** किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी कीमतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बजट 2025-26 में राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के कार्यान्वयन और भागीदारी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

2. उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित किए गए 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी करता है। उचित निर्णय लेने के लिए दैनिक मूल्य रुझानों का विश्लेषण किया जाता है जैसे कि बफर से स्टॉक जारी करना, स्टॉकहोल्डिंग निकायों द्वारा स्टॉक प्रकटीकरण, स्टॉक सीमा लागू करना, व्यापार नीति लिखतों में बदलाव जैसे आयात शुल्क का युक्तिकरण, आयात कोटा में बदलाव, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आदि।

3. कीमतों में अस्थिरता से निपटने के लिए, सरकार बाजार संबंधी पहलों के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है, ताकि बाजार की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। दालों के बफर स्टॉक का एक भाग दालों में परिवर्तित किया जाता है ताकि भारत दाल ब्रांड के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उचित

कीमतों पर इसकी खुदरा बिक्री के लिए इसी तरह, भारत ब्रांड के अंतर्गत आटा और चावल खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर वितरित किया जाता है। थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लक्षित तरीके से सितंबर से दिसंबर, 2024 के दौरान बफर से प्याज भी बाजार में लाया गया था। इसे उन राज्यों और शहरों में लक्षित किया गया था जहां प्रचलित कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक थीं और कीमतों और मुद्रास्फीति में अंतर-राज्य भिन्नता को कम करने के लिए बढ़ रही थीं।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

का.ज्ञा.सं. 5(3)/ईसी.डीएन./2025 दिनांक 14.02.2025]

(समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.9 और 1.10 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

पूंजीगत व्यय

बजट मे पूंजीगत व्यय के लिए निरंतर बढ़ा हुआ प्रावधान यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11,11,111 करोड़ रूपये आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ावा देने की दिशा मे एक उल्लेखनीय कदम है । समिति का मानना है कि इस आवंटन का अपेक्षित प्रभाव महत्वपूर्ण है क्योंकि पूंजीगत व्यय में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे दोनों शामिल होते है और भौतिक बुनियादी ढाँचे, जैसे परिवहन और लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं जैसी सामाजिक अवसंरचना मे निवेश करने से समग्र और समावेशी विकास प्राप्त करने मे मदद मिलेगी। समिति राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और राजकोषीय समेकन करने की प्रतिबद्धता की सराहना करती है । समिति यह समझती है कि इससे ना केवल निजी क्षेत्र के निवेश के बहिर्गमन की संभावना कम होगी बल्कि निजी निवेश भी आकर्षित होगा, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी और बढ़े हुए पूंजीगत व्यय का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। समिति चाहती है कि आवंटित धन का उपयोग वित्तीय वर्ष की

प्रत्येक तिमाही में परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन सहित किसी भी अंतर मंत्रालयी/राज्य-केंद्र विवाद/असहमति को दूर करके किया जाए अर्थात लागत और समय की वृद्धि से बचने और कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सभी हितधारकों के बीच कुशल समन्वय सुनिश्चित किया जाए ।समिति को विश्वास है कि पूंजीगत व्यय के लिए बढ़े हुए आवंटन से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और सतत आर्थिक विकास मे तेजी आएगी।

सरकार का उत्तर

सरकार विकास को बढ़ावा देने, नौकरियों के सृजन और उत्पादकता बढ़ाने में पूंजीगत व्यय के महत्व को समिति द्वारा मान्यता दिए जाने की सराहना करती है। आवंटित निधियों का प्रभावी और समयोचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। भौतिक और सामाजिक अवसंरचना, दोनों पर बल देने का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए संतुलित और समावेशी विकास में सहयोग देना है। इन प्रयासों से आर्थिक विकास को मजबूती मिलने और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की आशा है। इसके अलावा, चूंकि कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई हैं, इसलिए इस समय आगे की कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

का.ज्ञा.सं. 8/1/2024-इंफ्रा-फिन दिनांक 31.12.2024]

सिफारिश (क्रम संख्या 7)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

समिति यह नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आवंटित धन के उपयोग में कमी का एक कारण यह था कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत ग्राहकों की संख्या कम रही, जिसके परिणामस्वरूप 40 करोड़ रुपये की बचत हुई। समिति आगे यह नोट

करती है कि अधिकांश ग्राहक (कुल ग्राहकों का 5,98,09,342 जो 7 अक्टूबर, 2024 को 6,99,94,568 है) यानी 85.44% 1,000 रुपये के सबसे कम पेंशन स्लैब में नामांकित है, जबकि उच्च स्लैब में काफी कम अभिदाता हैं। समिति की यह राय है कि उच्चतर पेंशन वर्ग में और अधिक अभिदाताओं को लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए और नामांकम, निरंतरता के संबंध में आउटरीच और प्रचार कार्यकलाप तथा समयपूर्व निकासी को कम करने के प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए। समिति योजना को बढ़ाना देने और इसका विस्तार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों को नोट करती है, लेकिन यह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डालना चाहेगी जो मनरेगा, स्वंय सहायता समूहों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि जैसी योजनाओं के श्रमिकों को एपीवाई के अंतर्गत पर्याप्त रूप में कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अतिरिक्त, समिति महसूस करती है कि प्रोद्योगिकी के उपयोग जैसे कि ईएपीवाई प्लेटफॉर्म, फिन-टेक भागीदारी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स (बीसी) का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। समिति ने आगे सिफारिश की है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा की गई पहलों, जैसे टाउनहॉल मीटिंग्स, मीडिया अभियान और 'एपीवाई की पाठशाला' जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है कि एपीवाई के अंतर्गत आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग किया जाए जिससे की योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अधिक समावेशी उपकरण बन सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति के सुझावों/टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है:

1. लक्षित समूहों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, सहकारी बैंकों, डाक विभाग की शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भौतिक रूप से साथ ही साथ डिजिटल रूप से नामांकित किया जाता है। निगरानी प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियों (यूटीएलबीसी) और प्रत्येक जिले में अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) की सहायता से की जाती है, जो बदले में न केवल वैयक्तिक और निगमित कारोबार प्रतिनिधियों का उपयोग करते हैं बल्कि उन्हें स्थानीय भाषा की योजना के ब्यौरे और वित्तीय साक्षरता सत्रों से सुसज्जित करते हैं।
2. निरंतरता बढ़ाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। एपीवाई-एसपी, एसएलबीसी/यूटीएलबीसी/एलडीएम को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए और अभिदाताओं को खोले गए खातों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। बैंकों, एसएलबीसी/यूटीएलबीसी/एलडीएम, राज्य सरकारों, आरबीआई, नाबार्ड, एसआरएलएम, बैंकरों, बैंकिंग प्रतिनिधियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित सम्मेलनों, कार्यशालाओं और बैठकों के माध्यम से और हमारे समर्पित कॉल सेंटर के माध्यम से एपीवाई अभिदाताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर कॉल करके भी प्रयास किए जाते हैं ताकि अभिदाताओं को गैर-स्थायी खातों के निहितार्थ और गारंटीकृत पेंशन और अन्य लाभों के साथ-साथ स्थायी खाता होने के लाभों के बारे में सूचित किया जा सके।
3. अधिकांश अभिदाता ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, और कुल अभिदाताओं का 45.34% 18-25 आयु वर्ग के हैं। अभिदाता ज्यादातर कम आय वाले परिवारों, प्रवासी आबादी और पुरुषों या महिलाओं से हैं जो कार्यबल में शामिल नहीं हो सकते हैं या नियमित रोजगार में नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाद में उच्चतर पेंशन स्लैब के लिए अंशदान का उन्नयन करना संभव है, यह निरंतर प्रयास रहता है कि अभिदाताओं को उपलब्ध उच्चतर गारंटीशुदा

पेंशन (>1000) के लिए नामांकन करने के लिए प्रेरित किया जाए। एपीवाई सेवा प्रदाताओं (एपीवाई-एसपी) और एसएलबीसी/यूटीएलबीसी/एलडीएम के साथ सभी बैठकों और बातचीत में इस पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी ऑनलाइन बैठकों में भी परिदृश्य में सुधार के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

इस संबंध में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई/प्रयास किए गए थे -

1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बत्तीस एपीवाई आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाई गई थी, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। 32 नियोजित कार्यक्रमों में से 30 कार्यक्रम 18-12-2024 तक राज्य के सभी जिलों के एसएलबीसी/यूटीएलबीसी और एलडीएम के समन्वय से आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में पीएफआरडीए, बैंकों, एसएलबीसी, राज्य सरकारों, आरबीआई, नाबार्ड, एसआरएलएम, बैंकरों, बैंकिंग प्रतिनिधियों और अन्य संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के दौरान, निरंतरता, उच्च पेंशन स्लैब में नामांकन, और निकास पर विस्तार से चर्चा की गई, और बैंकों को इन मुद्दों को हल करने के लिए संवेदनशील बनाया गया। इसके अलावा, एपीवाई-एसपी/एसएलबीसी/यूटीएलबीसी/एलडीएम को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके प्रयासों को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के लिए विभिन्न अभियान आयोजित किए जाते हैं। पहुंच बढ़ाने के संबंध में समिति के सुझावों को नोट कर लिया गया है।
2. नोडल अधिकारियों और एसएलबीसी/यूटीएलबीसी के साथ नियमित आधार पर कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें उनके बैंक/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एपीवाई नामांकन की प्रगति पर चर्चा की गई। पीएफआरडीए ने एपीवाई-एसपी का मार्गदर्शन किया और उनके साथ अन्य बैंकों की नई रणनीतियों और सर्वोत्तम चलनों को साझा किया। मीडिया विषय-वस्तु, प्रशिक्षण, एमआईएस, आदि से संबंधित सभी संभव सहायता बैंकों को प्रदान की गई थी ताकि

उच्चतर पेंशन स्लैब में नामांकन सुनिश्चित किया जा सके और अस्थिर अभिदाताओं को पुन स्थिर बनाया जा सके।

3. बेहतर प्रचार-प्रसार और जागरूकता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, सोशल-मीडिया और थियेटर में मास-मीडिया अभियान।
4. डीएवीपी के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिरता पर प्रिंट विज्ञापन जारी किया गया था।
5. बैंकों को उनकी निरंतरता के स्तर में सुधार करने के लिए प्रेरित करने के लिए "पावर टू पर्सिस्ट" नामक एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया था।
6. "मिशन अपग्रेड" नामक एक विशेष अभियान बैंकों को उच्च पेंशन स्लैब में अभिदाताओं को नामांकित करने और मौजूदा ग्राहकों को उच्च पेंशन स्लैब में अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था।
7. बैंकरों के साथ बैठकों में पीएफआरडीए उन बैंक अधिकारियों को जागरूक कर रहा है जो योजना से बाहर निकलने का अनुरोध करने वाले अभिदाताओं को रोक रहे हैं।
8. पीएफआरडीए और सीआरए द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से एपीवाई अभिदाताओं और बैंकों के लिए देशी भाषाओं में ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में दृढ़ता के महत्व और उच्च पेंशन स्लैब के लाभों को प्रदर्शित/चर्चा की जाती है।
9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालयों द्वारा कौशल, प्रशिक्षण, रोजगार सृजन, उद्यमिता, आदि को पूरा करने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित समूहों/जनसंख्या के भीतर पेंशन पैठ करने को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। योजना का विवरण विभिन्न अन्य

योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, उद्यम, कौशल प्रशिक्षुओं आदि के लाभार्थियों को आगे प्रसार के लिए साझा किया गया है।

10. एपीवाई में डिजिटल नामांकन को सक्षम बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर ई-एपीवाई लिंक होस्ट करने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ आवश्यक प्रयास किए गए हैं।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

का. ज्ञा. संख्या 07/44/2024-संसद दिनांक 10.02.2025]

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आई.एफ.एस.सी.ए.)

समिति यह नोट करती है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) ने अंतराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित एक अनुकूल नियामक वातावरण बनाकर वैश्विक स्थायी पूंजी प्रवाह में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स , सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड्स और अन्य लेबल वाले बॉन्ड्स (सामूहिक रूप से "ईएसजी लेबल्ड डेट सिक्योरिटीज" के रूप में संदर्भित) के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, आईएफएससीए ने आवश्यक नियामक ढांचा बनाया है और फंडिंग के तीन प्रमुख स्रोतों – ऋण प्रतिभूतियों, ऋणों और फंडों में केंद्रित पहल की है ।इसकी पहल, जैसे कि आईएफएससीए बैंकिंग इकाईयों (आईबीयू) को अपने ऋण का कम से कम 5% प्रतिशत हरित/सामाजिक/टिकाऊ/स्थिरता-लिंक्ड क्षेत्रों/सुविधाओं को आवंटित करने के लिए अनिवार्य करना, ईएसजी योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण मे निरंतरता, तुलनात्मकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए परिपत्र जारी करना और आईएफएससीए एक्सचेंजों पर ईएसजी-लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों में अरबों रुपए सूचीबद्ध करने से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी सिटी) सतत फाईनेंस से संबंधित विभिन्न

गतिविधियों के लिए एक पसंदीदा क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है ।समिति महसूस करती है कि नीतियों में निरंतर सुधार करने; नियामक ढाँचे को मजबूत करने और पहुँच बढ़ाने के लिए आईएफएससीए क्लाइमेट फाईनेंस की कमियों को दूर कर सकता है तथा भारत के एक सतत एवं निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण को गति देने में महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकता है ।

सरकार का उत्तर

आर्थिक कार्य विभाग

नीतियों को बेहतर करने और विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपाय

आईएफएससीए ने सरकार के परामर्श से मौजूदा नीतियों को बेहतर करने/विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. ईएसजी ऋण सूचीकरण ढांचा

आईएफएससीए ने दिनांक 30 अगस्त, 2024 को अपने आईएफएससीए (सूचीकरण) विनियम, 2024 जारी किए हैं, जिसमें ईएसजी ऋण सूचीकरण ढांचे को मौजूदा "हरित", "सामाजिक", "संधारणीय", "संधारणीय आधारित" ऋण प्रतिभूतियों से इतर आईएफएससीए द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य लेबल युक्त ऋण प्रतिभूतियों को शामिल करके ईएसजी लेबल युक्त ऋण प्रतिभूतियों के दायरे को व्यापक बनाकर अद्यतित किया गया है।

ii. आईएफएससी में ईएसजी लेबल युक्त ऋण प्रतिभूतियों में ग्रीनवाशिंग के जोखिम को कम करने के सिद्धांत

आईएफएससीए ने दिनांक 21 नवंबर, 2024 को “आईएफएससी में ईएसजी लेबल युक्त ऋण प्रतिभूतियों में ग्रीनवाशिंग के जोखिम को कम करने के सिद्धांत” पर परिपत्र जारी किया। वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली के अनुरूप, यह परिपत्र सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें सिद्धांतों की बेहतर समझ के लिए विस्तृत मार्गदर्शन टिप्पणी और निदेशात्मक उदाहरण दिए गए हैं। परिपत्र में पाँच प्रमुख

सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है, जिनका अनुपालन ईएसजी-लेबल युक्त ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं को करना होगा:-

क. लेबल के प्रति ईमानदारी - भ्रामक लेबल और शब्दावली से बचना

ख. स्क्रीन द ग्रीन - परियोजना चयन और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली में पारदर्शिता

ग. वॉक द टॉक – प्राप्तियों (प्रोसीड्स) का प्रबंधन और उनके उपयोग पर नजर रखना

घ. समग्र प्रभाव - नकारात्मक बाह्य कारकों की मात्रा का निर्धारण

ङ. सतर्क रहना - निगरानी और प्रकटीकरण

iii. आईएफएससी में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) का व्यापार और निपटान

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 29 अगस्त, 2024 को "भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान" के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आईएफएससी में एसजीआरबी के व्यापार और निपटान को सुविधाजनक बनाना है। इसके पश्चात, आईएफएससीए ने दिनांक 24 सितंबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से आईएफएससी में एसजीआरबी के व्यापार और निपटान के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त योजना से आरबीआई द्वारा जारी एसजीआरबी में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है।

उपर्युक्त के अलावा, आईएफएससीए अन्य वैश्विक क्षेत्राधिकारों में विभिन्न प्रतिनिधिमंडल संबंधी दौरा कार्यक्रमों के माध्यम से संधारणीय वित्त संबंधी पहलूओं को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। आईएफएससीए जलवायु वित्त जुटाने के क्षेत्राधिकार के रूप में जीआईएफटी आईएफएससी का संवर्धन करने के लिए भारत में होने वाले क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। इसके अलावा, आईएफएससीए समय-समय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आईएफएससी में विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों, गोलमेज सम्मेलनों आदि का आयोजन करता है।

[वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
फा. सं. 3/3/ईएम/2020 – भाग(II)-भाग(4) दिनांक 08.01.2025]

सिफारिश (क्रम संख्या 9)

अकाउंट एग्रीगेटर (एए)

समिति नोट करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विकसित अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क को ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के साथ वित्तीय जानकारी के निर्बाध प्रसारण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को एए के रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) को परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म आदि। समिति की राय है कि एए फ्रेमवर्क वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतः समिति महसूस करती है कि एए फ्रेमवर्क को बढ़ाया जाना चाहिए और आंकड़ों के उल्लंघन को रोकने के लिए संवधत सुरक्षा उपायों के साथ-साथ इसे और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। लघु बचत योजनाओं के आंकड़ों के मिलान की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और उचित मूल्यांकन के बाद इसे एए ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सूचना के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि अधिक वित्तीय सहायता प्राप्तियों को एकीकृत करने तथा एए फ्रेमवर्क की निगरानी और अनुपालन के लिए कुशल साधन विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

रिज़र्व बैंक ने 02 सितंबर 2016 के मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेशों के अंतर्गत अकाउंट एग्रीगेटर ढांचा जारी किया है। अकाउंट एग्रीगेटर (एए) निर्दिष्ट वित्तीय सूचना प्रदाताओं (वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं, अर्थात, आरबीआई, एसईबीआई(सेबी), इरडा, पीएफआरडीए और जीएसटीएन) से ग्राहक की वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना को पुनः प्राप्त करने या एकत्र करने और इसे एकत्रित/समेकित करने और ग्राहकों या निर्दिष्ट वित्तीय

सूचना उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करने का कारोबार करता है। एए ग्राहक की स्पष्ट सहमति के आधार पर इस प्रक्रिया को आरंभ करता है।

वर्तमान में, एए फ्रेमवर्क में वित्तीय सूचना के रूप में अभिचिह्नित 19 मदें शामिल हैं जो वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) के पास उपलब्ध हैं।

एए इकोसिस्टम में नवंबर 2024 के अंत तक काफी वृद्धि देखी गई है। एए फ्रेमवर्क में 571 वित्तीय सूचना प्रयोक्ता (एफआई-यूएस) और 147 वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) थे जो विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियामकों में फैले हुए थे जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभ से अब तक एफआईयू को लगभग 238 करोड़ सफल सहमति आधारित आंकड़े अंतरित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एए इकोसिस्टम के कवरेज और दायरे को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को सलाह देने जैसे कई उपाय किए हैं कि वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में एए इकोसिस्टम में शामिल होने वाले आरई आवश्यक रूप से वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में भी शामिल होंगे यदि उनके पास निर्दिष्ट 'वित्तीय सूचना' है और एफआईपी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई को नकदी प्रवाह आधारित उधार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एए पारिस्थितिकी तंत्र के कवरेज और दायरे को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार कई उपाय किए हैं:

1. रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए 'आरबीआई कहता है' पहल के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान शुरू किया था जो वर्ष 2024-25 के लिए भी जारी रहेगा।

2. एए को सहज उपयोग के लिए द्विभाषी/बहुभाषी में अपने वेब/मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने का सुझाव दिया गया है।

3. एए प्रणाली के उपयोग और कवरेज को और बढ़ाने की दृष्टि से, आरबीआई उन प्रयोजनों/उपयोग के मामलों की सूची को बढ़ाने में लगा हुआ है जिनके लिए आंकड़े साझा किया जा सकता है।

डेटा ब्लाइंडनेस पर विनियामक निदेश, आंकड़ा धारक की स्पष्ट सहमति, आवधिक आईएस ऑडिट, साइबर सुरक्षा, आईटी सुरक्षा, आउटसोर्सिंग आदि डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए निर्धारित हैं और वे गतिशील रूप से संरेखित हैं या किसी भी उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए नए उपाय जोड़े गए हैं।

रिज़र्व बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम (एसआरओ-एए) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। एसआरओ-एए से सदस्य प्रतिभागियों के लिए आचार संहिता तैयार करने, इकोसिस्टम में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, वित्तीय जानकारी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों और नियामकों के सहयोग से मानक विकसित करने और सदस्य प्रतिभागियों के लिए आचरण के स्पष्ट मानकों को स्थापित करने आदि में भूमिका निभाने की उम्मीद है। एसआरओ-एए के गठन से एए इकोसिस्टम के प्रतिभागियों के बीच अनुपालन प्रणाली में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एए के अनुपालन मानकों की मानीटरिंग की जाती है।

रिज़र्व बैंक ने 25 जनवरी, 2024 के पत्र द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को अवगत कराया है कि बैंक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपना रहा है जिसके अंतर्गत प्रदान किए गए एए ढांचे के अंतर्गत शामिल करने के लिए वित्तीय जानकारी पर विचार किया जा सकता है:

- ऐसी सूचना ग्राहक की आस्ति संबंधी स्थिति बताता है और यह इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है; ग्राहक की सहमति के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए तकनीकी और कानूनी प्रावधान / सक्षमता उपलब्ध है; और

- भारत सरकार का संबंधित विभाग/मंत्रालय एए फ्रेमवर्क के इस सीमित प्रयोजन के लिए सम विनियामक होने के लिए सहमत है। आंकड़ों का रख-रखाव करने वाले प्राधिकारी को एए फ्रेमवर्क के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में नामित किया जा सकता है।

तदनुसार, लघु बचत योजनाओं के संबंध में सूचना को एए इकोसिस्टम के अंतर्गत वित्तीय सूचना के रूप में मानने के लिए आथक कार्य विभाग की सहमति का अनुरोध किया गया था। इस बात की पुष्टि करने का भी अनुरोध किया गया था कि क्या लघु बचत के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं उक्त सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण के मानदंडों का अनुपालन करती हैं।

इस संबंध में, डीईए ने 14 जून, 2024 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया है कि डाक विभाग में लघु बचत योजनाओं की आंकड़ा मिलान प्रक्रिया की जा रही है और इसलिए आंकड़ा मिलान पूरा होने के पश्चात एए इकोसिस्टम में वित्तीय जानकारी के रूप में लघु बचत योजनाओं को शामिल करने से संबंधित मामले पर विचार किया जा सकता है।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

का. ज्ञा. संख्या 07/44/2024-संसद दिनांक 10.02.2025]

(समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.13 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 10)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोजगार सृजन, नवाचार और देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समिति वित्तीय बाधाओं पर काबू पाने में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पहलों पर ध्यान देती है, जो व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) और एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई), हाल ही में आरबीआई पायलट कार्यक्रम जैसे उपायों के माध्यम से एमएसएमई को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण है। समिति समझती है कि ट्रेड्स एमएसएमईज को कई फाइनेंसरों को उनके व्यापार प्राप्तियों पर बोली लगाने की अनुमति देकर प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण तक पहुँचने में सक्षम बनाता है और इस प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप ब्याज दरें कम होती हैं, जिससे वित्तपोषण अधिक किफायती हो जाता है। समिति इस बात की सराहना करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत फैक्टरिंग व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियों/संस्थानों को टीआरईडीएस में वित्तपोषक के रूप में अनुमति दी है क्योंकि इससे व्यापार प्राप्तियों की बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगेगी और अंतत बेहतर ब्याज दरें प्राप्त होंगी। एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) के संबंध में, समिति समझती है कि यह क्रेडिट मूल्यांकन के लिए उधारदाताओं द्वारा निर्बाध और कुशल क्रेडिट वितरण की सुविधा प्रदान करता है और केंद्र और राज्य सरकारों (जैसे भूमि रिकॉर्ड), दूध संघ, माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), खाता एग्रीगेटर्स (एए), बैंकों, क्रेडिट सूचना कंपनियों और डिजिटल पहचान प्राधिकरणों (जैसे आधार) से डेटा को एकीकृत करता है, जिससे एमएसएमई को ऋण की आसान पहुंच की सुविधा मिलती है। पायलट चरण के दौरान उत्साहजनक प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, समिति चाहती है कि यूएलआई प्लेटफॉर्म का राष्ट्रव्यापी रोलआउट तेजी से किया जाए जो एमएसएमई को वर्तमान परिदृश्य के बजाय मोबाइल और वेब अनुप्रयोगो के माध्यम से यूएलआई सेवाओं तक सीधे पहुंचने में सक्षम बनाएगा, जिसमें बैंक एमएसएमई की ओर से ऋण आवेदकों को संसाधित करने के लिए यूएलआई

के साथ इंटरफेस करते हैं। समिति महसूस करती है कि विभिन्न प्लेटफार्मों, कार्यशालाओं और वित्तीय साक्षरता अभियान उपायों के माध्यम से प्रसारित पर्याप्त और लगातार जानकारी के साथ इस पहल से एमएसएमई को ऋण प्राप्त करने में लाभ होगा और एमएसएमई को आसानी से ऋण देने में सुविधा होगी।

सरकार का उत्तर

रिज़र्व बैंक टीआरईडीएस के माध्यम से फैक्टरिंग लेनदेन करने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाता है। फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के पश्चात, रिज़र्व बैंक ने उन कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के तरीके से संबंधित अपेक्षित विनियम जारी किए हैं जो फैक्टरिंग कारोबार करने का प्रस्ताव रखती हैं। एनबीएफसी-घटक के अतिरिक्त, ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली सभी गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियों (आईसीसी) को कुछ शर्तों की संतुष्टि के अधीन फैक्टरिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है; और अन्य एनबीएफसी एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण की मांग करके फैक्टरिंग कारोबार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर किए गए लेनदेनों को फैक्टरिंग के मामले में टीआरईडीएस संस्थाओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ प्राप्तियों के असाइनमेंट के पंजीकरण पर विनियम जारी किए हैं। एमएसएमई को ऋण प्रवाह बढ़ाने में सहायता करने के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म सहित फैक्टरिंग लेनदेन करने के लिए पात्र संस्थाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।

अगस्त 2023 में पायलट लॉन्च के पश्चात, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) ने बैंकों, एनबीएफसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) सहित 36 उधारदाताओं को शामिल किया है। यह वर्तमान में 12 ऋण यात्राओं का समर्थन करता है और 55 से अधिक डेटा सेवाएं प्रदान करता है। इस स्तर पर ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को एकीकृत ऋण

इंटरफेस (यूएलआई) में शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, डेटा सेवा प्रदाता के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

यूएलआई का दायरा बढ़ रहा है। ऋण उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला, अधिक डेटा प्रदाता और उधारदाताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की जा रही है। इसके अतिरिक्त, बिजनेस-टू-बिजनेस (बी 2 बी) मॉडल (वर्तमान में) के साथ-साथ बिजनेस-टू-कस्टमर (बी 2 सी) मॉडल की भी परिकल्पना की गई है, जो ग्राहक को निर्बाध ऋण तक पहुंच की अनुमति देगा। प्लेटफॉर्म को अपनी विशेषताओं को समृद्ध करने के लिए आगे प्रबर्धन और वृद्धि की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यूएलआई के संबंध में जागरूकता फैलाने और इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की परिकल्पना की गई है ताकि हितधारकों और आम जनता के बीच इसे व्यापक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

का. ज्ञा. संख्या 07/44/2024-संसद दिनांक 10.02.2025]

सिफारिश (क्रम संख्या 11)

समिति डिजिटल लेनदेन में लगातार वृद्धि के साथ साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम के बारे में चिंतित है। समिति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार द्वारा इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों पर ध्यान देती है, जैसे कि सुरक्षित कोडिंग को लागू करने के लिए सख्त दिशानिर्देश; बहु-कारक प्रमाणीकरण; नियमित परीक्षण; सुरक्षित डेटा संचरण; कमजोरियों का समय पर पैचिंग; साइबर सुरक्षा और आईटी परीक्षा (सीएसआईटीई) सेल, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर), साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) जैसी विभिन्न एजेंसियों की स्थापना; डेटा की अखंडता की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों को लागू करना और ग्राहकों

को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सशक्त बनाने में मदद करने के लिए जनता के बीच विभिन्न तरीकों के माध्यम से साइबर अपराध जागरूकता को बढ़ावा देना। समिति महसूस करती है कि यद्यपि ये उपाय महत्वपूर्ण हैं, तथापि जोखिम शमन योजना के साथ साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है; साइबर अपराधों के माध्यम से ठगी के तेजी से बढ़ते और अभिनव तरीकों से एक कदम आगे रहने के लिए सुरक्षा और जागरूकता उपायों को बढ़ाना। समिति की यह राय है कि जन जागरूकता अभियानों, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में, की पहुंच बढ़ाने से इन पहलों का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, विभिन्न एजेंसियों के बीच डेटा-साझाकरण और क्रॉस-सेक्टर समन्वय के लिए मजबूत और लचीला अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तंत्र बनाने से डिजिटल स्पेस में उभरते खतरों से बचाव में मदद मिल सकती है और साइबर अपराधों का तेजी से पता लगाने और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

सरकार का उत्तर

साइबर अपराधों के संबंध में जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न उपाय करते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- 15 मार्च, 2022, 2023 और 2024 को "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" के अवसर पर सभी आरबीआई लोकपाल ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय/क्षेत्रीय मल्टीमीडिया चैनलों (दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों सहित) के साथ बातचीत की, जिसमें सुरक्षित बैंकिंग पर वित्तीय उपभोक्ता जागरूकता के गहन और केंद्रित प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई के वैकल्पिक शिकायत निवारण के तरीके और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा विनियम, आरबी-आईओएस, 2021 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ग्राहक अधिकारों का अधिकार-पत्र, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह कार्यक्रम अंग्रेजी,

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया गया था और दूरदर्शन, रेडियो तथा कई अन्य स्थानीय निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया था।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बी (ए) वेयर (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध) तथा राजू और चालीस चोर (अंग्रेजी, हिन्दी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध) पर पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं जिनमें धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली और धोखेबाजों से फंसने से बचने/बचने के तरीकों को शामिल किया गया है और जनता तथा आरबीआई के आरई द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर डाला गया है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित व्यक्तिगत उपस्थिति वाले कार्यक्रमों में भी वितरित किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने वृहद स्तर पर जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पहल की हैं जैसे:

क. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में धोखाधड़ी पर आरबीआई के निर्देशों के बारे में ग्राहक को अवगत कराना, धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना;

ख. आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सभी ग्राहकों के लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना के रूप में आरबी-आईओएस के बारे में ग्राहक को जागरूक करना;

ग. आरबी-आईओएस, 2021 पर अखिल भारतीय स्तर पर एक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जा रहा है;

घ. यूपीआई धोखाधड़ी, प्रतिरूपण धोखाधड़ी, पार्सल घोटाले और एईपीएस धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करने वाले सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं;

ङ. विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण विषयों पर राष्ट्रव्यापी एसएमएस अभियान।

ये सभी अभियान *दूरदर्शन* और आकाशवाणी तथा अन्य राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित किए जाते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में सहायता मिल सके। ये अभियान लोकप्रिय

टीवी श्रृंखला "कौन बनेगा करोड़पति" का एक हिस्सा भी हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा व्यापक रूप से देखा जाता है।

- लोकपाल कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित पहलुओं सहित विभिन्न मुद्दों पर टाउन हॉल बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- प्रमुख उत्सवों/कार्यक्रमों जैसे पुरी में रथ यात्रा और राज्यों में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी करके जागरूकता उत्पन्न की जाती है।
- साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को कुशल और प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए, आम जनता को रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबी-आईओएस), विज्ञापनों और अभियानों के माध्यम से अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने पर आरबीआई के परिपत्र जैसे पहलुओं से अवगत कराया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) प्रणाली के बारे में जनता को सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करने, शिकायतकर्ताओं को शिकायतें दर्ज करने में मार्गदर्शन करने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के पास पहले से दर्ज शिकायतों की स्थिति प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 14448 के साथ एक संपर्क केंद्र ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के साथ संपर्क केंद्र 24x7 उपलब्ध है, जबकि संपर्क केंद्र कर्मियों से जुड़ने की सुविधा अंग्रेजी, हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) के लिए राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच उपलब्ध है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग ने दिनांक 22 जून, 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं. 1934/06.08.005/2019-20 के माध्यम से

सभी अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों और प्रतिभागियों (बैंकों और गैर-बैंकों) को यह परामर्श दिया है कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित उपयोग पर शिक्षित करने के लिए एसएमएस, प्रिंट और विजुअल मीडिया में विज्ञापन आदि के माध्यम से लक्षित बहुभाषी अभियान शुरू करें।

- आरबीआई ने अप्रैल 2024 में, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय (एमएचए) के समन्वय से मुंबई में "साइबर वित्तीय धोखाधड़ीयां: चुनौतियां और रोकथाम" विषय पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और बैंकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी विनियमित संस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला ने सभी प्रतिभागियों के मध्य सुदृढ़ विचार-विमर्श और परस्पर सक्रिय चर्चाओं की सुविधा प्रदान की, जिससे साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समझ बढ़ी और रणनीति बनी। साइबर वित्तीय धोखाधड़ियों के बारे में आगे परिचालन और जागरूकता बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली को शामिल करते हुए विभिन्न जागरूकता संबंधी पुस्तिकाएं भी प्रतिभागियों को वितरित की गईं।

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक 'संदिग्ध रजिस्ट्री' की शुरुआत की है। यह रजिस्ट्री बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से विकसित की गई है और इसे साइबर अपराधियों के पहचानकर्ताओं को संग्रहीत और साझा करने के लिए तैयार किया गया है। संदिग्ध रजिस्ट्री में योगदान करने वाली प्रतिभागी संस्थाएं इस आंकड़े का उपयोग नए खाते खोलने या ऋण, पेंशन योजना और अन्य पेशकशों जैसी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने और धोखाधड़ी वाले लेनदेन की निगरानी करने वाले व्यक्तियों की साख को सत्यापित करने के लिए कर सकती हैं। सितंबर 2024 माह के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक 4 लाख से अधिक संदिग्ध डेबिट लेनदेन को अस्वीकार करने में सक्षम था, जिसमें 80198 विशिष्ट

ग्राहक, खाते और इन लेनदेन में शामिल राशि 1120.35 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, आईसीआईसीआई बैंक ने विशिष्ट खातों की तुलना में 1657 लेनदेन को अस्वीकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 38.97 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की आय को रोका गया है।

- वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) नियमित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करता है ताकि साइबर खतरों का सामना करने में उनकी तैयारियों का मूल्यांकन किया जा सके, साइबर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जा सके और वित्तीय इकोसिस्टम के भीतर कमजोरियों को दूर किया जा सके। इन कार्यों के अलावा, डीएफएस साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न पहल करता है। डीएफएस ने नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित अनुभाग भी बनाया है।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)
का. ज्ञा. संख्या 07/44/2024-संसद दिनांक 10.02.2025]

सिफारिश (क्रम संख्या 12)

जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रावधानों में परिवर्तन

समिति नोट करती है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) के जीवन बीमा उत्पादों पर मास्टर सर्कुलेटर, 2024 द्वारा पेश किए गए बदलाव, ग्राहको को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों/राइडरों को चुनने के लिए व्यापक विकल्प और लचीलापन प्रदान करना संभव बनाते हैं और पॉलिसीधारकों की शिकायतों को कम करते हैं, ग्राहकों की संतुष्टि और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। समिति महसूस करती है कि विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)

निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली में समायोजन और नीति अधिग्रहण और दृढ़ता मॉडल में बदलाव एजेंटों के कमीशन को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर अगर बीमाकर्ता अपनी वितरण रणनीतियों को समायोजित करते हैं या नए नीति डिजाइनों को प्रतिबिंबित करने के लिए कमीशन संरचनाओं को संशोधित करते हैं जो उनके कमीशन को कम कर सकते हैं और उनके मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, समिति की राय है कि आईआरडीएआई को विभिन्न प्रभावित हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए।

<u>सरकार का उत्तर:</u>

इरडाई द्वारा यह परिकल्पना की गई है कि विनियामकीय ढांचे में हाल के परिवर्तनों के कारण, जीवन बीमा उत्पादों को अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है, इससे उनकी बिक्री में वृद्धि हो सकती है, जिससे बीमा एजेंटों और मध्यस्थों को एक स्थायी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, इरडाई ने यह व्यक्त किया है कि बीमाकर्ता इरडाई (बीमाकर्ताओं के कमीशन सहित प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने एजेंटों को देय कमीशन का निर्णय ले सकता है।

इरडाई द्वारा पॉलिसीधारकों के व्यापक उद्देश्य और हित को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.12.2024 तक उनकी उचित अपेक्षाओं और इन परिवर्तनों के संभावित समग्र सकारात्मक प्रभाव सहित, अभ्यर्पण मूल्य में परिवर्तनों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ा दी गई थी। तदनुसार, इस विभाग का विचार है कि संशोधित ढांचे के परिणाम की समीक्षा एक वर्ष के बाद की जा सकती है।

[वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)
का. ज्ञा. संख्या 07/44/2024-संसद दिनांक 10.02.2025]

(समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.16 देखें)

अध्याय – तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय- चार

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

शून्य

अध्याय – पाँच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2025
07 श्रावण, 1947 (शक)

भर्तृहरि महताब
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की तीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को 1430 बजे से 1615 बजे तक समिति कमरा संख्या '62', संविधान सदन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भर्तृहरि महताब – सभापति

लोकसभा

2. श्री पी.पी.चौधरी
3. श्री के. गोपीनाथ
4. श्री चुड़ासमा राजेशभाई नारणभाई
5. श्री अरुण नेहरू
6. श्रीमती संध्या राय
7. डॉ. जयंतकुमार राय
8. डॉ. के. सुधाकर
9. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
10. श्री प्रभाकररेड्डी वेमिरेड्डी

राज्य सभा

11. श्री एस. सेल्वागनबेथी
12. श्री संजय सेठ
13. श्रीमती दर्शना सिंह

सचिवालय

1.	श्री गौरव गोयल	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती भारती संजीव टुटेजा	-	निदेशक
3.	श्री कुलदीप सिंह राणा	-	उप सचिव
4.	श्री टी. माथिवनन	-	उप सचिव

भाग – एक

2. XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX.

(तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

भाग – दो

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया:

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(तीन) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(चार) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(पांच) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

(छह) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, सार्वजनिक उद्यम तथा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(सात) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(आठ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(नौ) योजना मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(दस) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(ग्यारह) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने उपर्युक्त प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकार कर लिया तथा सभापति को उन्हें अंतिम रूप देने तथा संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

* * *

परिशिष्ट

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 4)

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2024-25) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोकसभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

		कुल	कुल का %
(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	12	
(दो)	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (सिफारिश क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 देखिए)	12	100%
(तीन)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	शून्य	--
(चार)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है	शून्य	--
(पाँच)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	शून्य	--

* * *